भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **2830**

दिनांक 10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वीकृत विशेष आर्थिक क्षेत्र

2830. श्री थरानिवेंथन एम. एस.

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में स्वीकृत, कार्यशील और निर्माणाधीन विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की राज्य-वार और विशेषकर तमिलनाडु में कुल संख्या कितनी है;

(ख) तमिलनाडु में एसईजेड़ की स्थापना के बाद से उनके द्वारा आकर्षित किए गए निवेश, सृजित रोजगार और उनके निर्यात प्रदर्शन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु से एसईजेड़ के कोई प्रस्ताव सरकार के पास अनुमोदन के लिए लंबित हैं और यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(घ) एसईजेड़ में समान विकास, स्थानीय रोजगार और पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किए गए नीतिगत उपायों का, विशेषकर तमिलनाडु के संदर्भ में, ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने तमिलनाडु में स्थानीय उद्योगों, एमएसएमई और किसानों पर एसईजेड़ के प्रभाव की कोई समीक्षा या मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अधिसूचित, कार्यशील और गैर-कार्यरत (निर्माणाधीन सहित) विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की संख्या का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख) दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु में एसईजेड में संचयी निवेश 72,041 करोड़ रुपये है और सृजित संचयी रोजगार 6,07,812 व्यक्ति है। पिछले पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में एसईजेड का निर्यात कार्य-निष्पादन निम्नवत है:

वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
तमिलनाडु में एसईजेड से निर्यात (करोड़ रुपये में)	1,16,844	1,36,329	1,72,580	1,77,930	2,03,304

(ग) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) मुख्य रूप से निजी निवेश द्वारा संचालित पहलें हैं, जिनकी स्थापना केंद्र सरकार, राज्य सरकारों या किसी भी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग की जा सकती है। एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत गठित अनुमोदन बोर्ड ऐसे प्रस्तावों पर विचार करता है जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विधिवत अनुशंसित किया गया है। वर्तमान में, तमिलनाडु राज्य में ऐसे किसी भी एसईजेड की स्थापना का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित नहीं है।

(घ) और (ड़) तमिलनाडु में स्थित एसईजेड सहित सभी एसईजेड के लिए आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देना, अवसंरचना सुविधाओं का विकास करना और रोजगार के अवसर पैदा करना एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियमावली, 2006 में सभी एसईजेड विकास कर्ताओं और इकाइयों द्वारा पालन किए जाने वाले पर्यावरणीय अनुपालनों के लिए प्रावधान और दिशानिर्देश भी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु में स्थित एसईजेड सहित सभी एसईजेड के कार्य-निष्पादन और प्रभाव का मूल्यांकन एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियमावली, 2006 के प्रावधानों के अनुसार नियमित रूप से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार एसईजेड के विकास आयुक्त द्वारा प्रस्तुत मासिक प्रदर्शन रिपोर्टों के आधार पर सभी एसईजेड के समग्र कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करती है।

*****

दिनांक 10 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2830 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल अधिसूचित एसईजेड	कुल कार्यशील एसईजेड	कुल गैर-कार्यशील (निर्माणाधीन सहित) एसईजेड
आंध्र प्रदेश	30	25	5
अरूणाचल प्रदेश	1	0	1
बिहार	2	0	2
चंडीगढ़	2	2	0

छत्तीसगढ़	2	1	1
गोवा	3	0	3
गुजरात	27	22	5
हरियाणा	22	8	14
झारखंड	2	1	1
कर्नाटक	50	38	12
केरल	20	19	1
मध्य प्रदेश	8	6	2
महाराष्ट्र	41	36	5
मणिपुर	1	0	1
नागालैंड	2	0	2
ओडिशा	5	5	0
पंजाब	3	3	0
राजस्थान	6	3	3
तमिलनाडु	58	49	9
तेलंगाना	51	37	14
त्रिपुरा	1	0	1
उत्तर प्रदेश	23	14	9
पश्चिम बंगाल	8	7	1
कुल योग	**368**	**276**	**92**

******